जिला शिक्षा पदाधिकारी
पूर्णियाँ
कार्यालय पंजी क्रमांक...
दिनांक...

DEO/DPO, PURNEA
Letter Received
No- 2267
Date- 19/06/23

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
आदेश

संचिका संख्या–08/RTE 15–03/2023 - 565 दिनांक 15/06/23

बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा–12 (1) (C) के प्रभावी रूप से अनुपालन हेतु मार्गदर्शिका–

स्थानीय प्राधिकार या सरकार से किसी प्रकार की सहायता या अनुदान प्राप्त नहीं करने वाले गैर–सहायता प्राप्त विद्यालय के संदर्भ में उक्त अधिनियम की धारा 12 (1) (C) में प्रावधानित है कि कोई विद्यालय पहली कक्षा में, पड़ोस के कमजोर वर्ग और अलाभकारी समूह के बच्चों को, उस कक्षा में नामांकन हेतु निर्धारित बच्चों की कुल संख्या के कम से कम पच्चीस प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश देगा और निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, उसके पूरा होने तक, प्रदान करेगा।

3471
19/6/2023

परन्तु यह और कि जहाँ उक्त विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय, विद्यालय पूर्व प्राथमिक शिक्षा देता है वहां उक्त उपबंध ऐसी विद्यालय पूर्व प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश को लागू होंगे।

2. उक्त प्रावधान गैर सहायता या अनुदान प्राप्त भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों पर लागू नहीं होगा।

3. उक्त अधिनियम के आलोक में कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह को शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर अधिसूचना के माध्यम से परिभाषित किया जाता है।

4. बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली–2011 के नियम–7 में प्रावधानित है कि पहली कक्षा में कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के तहत् नामांकित बच्चों के साथ कक्षा के अन्य बच्चों के साथ भेद–भाव या अलग–थलग नहीं करने, उनकी कक्षाएँ किसी अन्य स्थान या अन्य समय, जो विद्यालय के अन्य बच्चों से अलग हों, आयोजित करने पर रोक लगाया गया है। इस श्रेणी में नामांकित बच्चों के खेल, सहगामी पाठ्यचर्या, सूचना एवं संचार तकनीकी के शिक्षण के संबंध में सामान्य बच्चों से किसी प्रकार के भेदभाव नहीं करने का निदेश निर्गत है।

5. उक्त नियमावली–2011 के नियम–9 में उम्र–प्रमाण के लिए जहाँ जन्म, मृत्यु एवं विवाह निबंधन अधिनियम–1886 के अन्तर्गत जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हो, वैसी परिस्थिति में विद्यालयों में नामांकन के लिए निम्न दस्तावेजों को अनुमान्य किया गया है:–

(क) अस्पताल/ऑक्जीलियरी नर्स या मिड वाईफ पंजी अभिलेख;

(ख) ऑगनबाड़ी अभिलेख ; एवं

(ग) बच्चे के अभिभावक या माता–पिता द्वारा बच्चे के उम्र हेतु दिया गया घोषणा–पत्र

6. स्थानीय प्राधिकार या सरकार से किसी प्रकार की सहायता या अनुदान प्राप्त नहीं करने वाले गैर–सहायता प्राप्त विद्यालय के पहली कक्षा अथवा विद्यालय पूर्व शिक्षा देने वाले विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षा (यथा–नर्सरी / LKG/ UKG/Montesory) के बच्चों की कुल संख्या के कम से कम पच्चीस प्रतिशत की सीमा तक कमजोर वर्ग और अलाभकारी समूह के बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं प्रभावी रुप से लागू करने हेतु शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के द्वारा पोर्टल विकसित किया जायेगा। इस पर आकड़ो की प्रविष्टि के निमित्त निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

(i) जिले के सभी प्रस्वीकृत गैर–सहायता प्राप्त विद्यालय के पहली कक्षा अथवा विद्यालय पूर्व शिक्षा देने वाले विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षा (यथा–नर्सरी / LKG/ UKG/Montesory) में बच्चों के नामांकन की कुल संख्या तथा कमजोर वर्ग और अलाभकारी समूह के बच्चों के नामांकन के लिए निर्धारित पच्चीस प्रतिशत संख्या की सूचना पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

(ii) इच्छुक अभिभावक अपने बसाव क्षेत्र से संबंधित पड़ोस के प्रस्वीकृत गैर सहायता प्राप्त विद्यालय में नामांकन के लिए ऑनलाईन आवेदन करेंगे।

(iii) इच्छुक अभिभावक अपने बसाव क्षेत्र प्रखंड तथा नजदीक के प्रखंड (जिले के अन्दर) सहित कुल 05 विद्यालयों में नामांकन हेतु विकल्प दे सकते हैं।

(iv) विद्यालय पहुँच के लिए परिवहन पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा नहीं की जाएगी।

(v) नामांकन संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की जाँच सीट आबंटन के पूर्व पोर्टल पर ही संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। इस हेतु उन्हें लॉग–इन आई.डी. अलग से दिया जाएगा। पोर्टल के माध्यम से आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र इत्यादि की जाँच की जाएगी।

(vi) प्राप्त आवेदनों के प्रथम विकल्प के आधार पर सीट का आवंटन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा) द्वारा किया जायेगा।

(vii) विद्यालय में उपलब्ध सीट से अधिक नामांकन के लिए आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान) द्वारा पोर्टल पर ही बच्चों का चयन Randomly किया जायेगा।

(viii) निर्धारित संख्या में बच्चों के नामांकन नहीं होने की स्थिति में इस प्रक्रिया को एक से अधिक बार किया जा सकेगा।

(ग) बच्चे के अभिभावक या माता–पिता द्वारा बच्चे के उम्र हेतु दिया गया घोषणा–पत्र

6. स्थानीय प्राधिकार या सरकार से किसी प्रकार की सहायता या अनुदान प्राप्त नहीं करने वाले गैर–सहायता प्राप्त विद्यालय के पहली कक्षा अथवा विद्यालय पूर्व शिक्षा देने वाले विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षा (यथा–नर्सरी / LKG/ UKG/Montesory) के बच्चों की कुल संख्या के कम से कम पच्चीस प्रतिशत की सीमा तक कमजोर वर्ग और अलाभकारी समूह के बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं प्रभावी रुप से लागू करने हेतु शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के द्वारा पोर्टल विकसित किया जायेगा। इस पर आकड़ो की प्रविष्टि के निमित्त निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

(i) जिले के सभी प्रस्वीकृत गैर–सहायता प्राप्त विद्यालय के पहली कक्षा अथवा विद्यालय पूर्व शिक्षा देने वाले विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षा (यथा–नर्सरी / LKG/ UKG/Montesory) में बच्चों के नामांकन की कुल संख्या तथा कमजोर वर्ग और अलाभकारी समूह के बच्चों के नामांकन के लिए निर्धारित पच्चीस प्रतिशत संख्या की सूचना पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

(ii) इच्छुक अभिभावक अपने बसाव क्षेत्र से संबंधित पड़ोस के प्रस्वीकृत गैर सहायता प्राप्त विद्यालय में नामांकन के लिए ऑनलाईन आवेदन करेंगे।

(iii) इच्छुक अभिभावक अपने बसाव क्षेत्र प्रखंड तथा नजदीक के प्रखंड (जिले के अन्दर) सहित कुल 05 विद्यालयों में नामांकन हेतु विकल्प दे सकते हैं।

(iv) विद्यालय पहुँच के लिए परिवहन पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा नहीं की जाएगी।

(v) नामांकन संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की जाँच सीट आबंटन के पूर्व पोर्टल पर ही संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। इस हेतु उन्हें लॉग–इन आई.डी. अलग से दिया जाएगा। पोर्टल के माध्यम से आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र इत्यादि की जाँच की जाएगी।

(vi) प्राप्त आवेदनों के प्रथम विकल्प के आधार पर सीट का आवंटन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा) द्वारा किया जायेगा।

(vii) विद्यालय में उपलब्ध सीट से अधिक नामांकन के लिए आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान) द्वारा पोर्टल पर ही बच्चों का चयन Randomly किया जायेगा।

(viii) निर्धारित संख्या में बच्चों के नामांकन नहीं होने की स्थिति में इस प्रक्रिया को एक से अधिक बार किया जा सकेगा।

(ix) कमजोर वर्ग और अलाभकारी समूह के बच्चों के शिक्षण पर हुए व्यय के नियमानुसार प्रतिपूर्ति हेतु विद्यालय द्वारा पोर्टल पर बैंक से संबंधित आवश्यक सूचनाओं की प्रविष्टि की जायेगी। विभाग द्वारा PFMS के माध्यम से संबंधित विद्यालय को प्रतिपूर्ति की राशि उपलब्ध करायी जायेगी। इस हेतु विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार बच्चों के नामांकन का भौतिक जाँच भी कराया जा सकेगा।

7. **शिकायत निवारण प्रक्रिया–** उक्त अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के क्रम में प्राप्त होने वाले शिकायतों के निराकरण हेतु प्राधिकार एवं प्रक्रिया का निर्धारण विभागीय अधिसूचना सं0–414 दिनांक–03.04.2013 के द्वारा किया गया है। इसमें गैर–सहायता प्राप्त विद्यालय के पहली कक्षा अथवा विद्यालय पूर्व शिक्षा देने वाले विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षा (यथा–नर्सरी / LKG/ UKG/Montesory) के बच्चों की कुल संख्या के कम से कम पच्चीस प्रतिशत की सीमा तक कमजोर वर्ग और अलाभकारी समूह के बच्चों के नामांकन से संबंधित शिकायत पर कार्रवाई के लिए संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक को सक्षम प्राधिकार एवं संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को अपीलीय प्राधिकार के रुप में नामित किया गया है।

उक्त प्रावधान का सम्यक् अनुपालन सभी हितबद्ध पक्ष करना सुनिश्चित करेंगे।

(पंकज कुमार)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक :–.08 / RTE 15–03 / 2023 505 / पटना, दिनांकः– 15/06/23 /

प्रतिलिपि:– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार / सभी निदेशक, शिक्षा विभाग / सभी जिला पदाधिकारी / सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक / सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी / सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी (जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय / सभी कोषागार पदाधिकारी / सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं राज्य के सभी प्रस्वीकृत गैर–सहायता प्राप्त विद्यालय के निदेशक / प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक 08 / RTE 15–03 / 2023 505 / पटना, दिनांक 15/06/23 /

प्रतिलिपि:–आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर उक्त मार्गदर्शिका की प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक 08 / RTE 15–03 / 2023 505 / पटना, दिनांक 15/06/23 /

प्रतिलिपि:–माननीय मंत्री के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव / सचिव के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक 1194 / पूर्णियाँ, दिनांक 23/06/2023

प्रतिलिपि :- सभी प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रबन्धक को सूचनार्थ एवं इस आशय के साथ प्रेषित कि पत्र में दिये गये निदेश का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करें।

22.06.23

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रा० शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान, पूर्णियाँ

23/06/23

Registration no: (211112920211018115426) Date: (0) Valid till: (0)

बिहार सरकार

जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | PURNIA

शिक्षा विभाग , बिहार सरकार, पटना

प्रमाण पत्र

सेवा में

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

SCHOLARS INTERNATIONAL SCHOOL

VILL- SHREE KHAGESH NAGAR, MAUJA SUKHSENA,THANA BARHARA KOTHI. DIST- PURNEA, BIHAR , PIN CODE- 854203

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र ।

महाशय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक. 18-10-2021 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण एवं जिला स्तरीय त्रिसदस्यीय समिति के बैठक दिनांक : 0 में किये गए निर्णय के आलोक में आपके विद्यालय SCHOLARS INTERNATIONAL SCHOOL, VILL- SHREE KHAGESH NAGAR, MAUJA SUKHSENA,THANA BARHARA KOTHI. DIST- PURNEA, BIHAR , PIN CODE- 854203, SHREE KHAGESH NAGAR, 854203 को कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन वर्षा 0 से 18-10-2024 अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।

2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे ।

3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।

4. कंडिका 3 में उध्दत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।

5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।

7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे. :

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा ।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा ।

(iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

(iV) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा ।

(V) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में दिव्यांग बच्चों का समावेशन किया जाएगा ।

(Vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।

(Vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे ।

(Viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे ।

8. विद्यालय केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा ।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा ।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः

(i) विद्यालय परिसर क क्षेत्रफल :- 285 डिसमिल

(ii) कुल निर्मित क्षेत्र :- 285 डिसमिल

(iii) खेल के मैदान क क्षेत्र :- All Facility

(iV) वर्ग कक्षों कीं कुल संख्या :- 14

(V) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय सह-भंडार कक्ष :- 4

(Vi) बालक तथा बालिकाओं क़े लिये अलग-अलग शौचालय :- Both Indian and Western , Boys :- 5 , Girls 4

(Vii) पेयजल की सुविधा :- 6

(Viii) मध्याह्न भोजन क़े लिये रसोई घर :- 3

(IX) बाधारहित पहुँच,[ ] :-

(X) शिक्षण अधिगम सामग्री/ खेल-कुद उपकरण/ पुस्तकालय :- Black Board, White Board, Electronic Board, Projector, Computer, Studay Table, Chairs & Many more Equipment's Available , Foot Ball, Volley Ball, Racket, Carme Board, Ludo, Chess, Basket Ball, And Many More Facility Available. , (Y , 970 , NewsPaper MagaZine:- 200)

11. कोई भी अपस्वीकृत वर्गका विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा ।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास केलिए होगा ।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा ।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा ।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी ।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या [211112920211018115426, 2021] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्धृत किया जाए ।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समाय "माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा ।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए ।

19. अनुलग्नक III के रूप में संलग्न अन्य शर्ते

24/04/23
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
समग्र शिक्षा, पूर्णियाँ

विश्वासभाजन
ह० /-
जिला शिक्षा पदाधिकारी, PURNIA
शिक्षा विभाग , बिहार सरकार

NOC LETTER 24/04/23